# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**क्रमांक/वि.अ./2022/479/टोंक**

विभागीय अपील द्वारा श्री राजेश कुमार मीणा, तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल पचाला हाल पटवार मण्डल केरोद, तहसील उनियारा जिला टोंक विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) के आदेश क्रमांकः— प्रकरण संख्या 14/भू.अ./2019/64 दिनांक 22.01.2019 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री राजेश कुमार मीणा, तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल पचाला हाल पटवार मण्डल केरोद, तहसील उनियारा जिला टोंक

## निर्णय

दिनांकः— 17.01.2023

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) के आदेश दिनांक 22.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांकः— 56/भू0अ0/2017 दिनांक 17.01.2017 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर तहसीलदार उनियारा ने निम्न आरोप लगाये गयेः—

1- पटवार हल्का पचाला के आखरी शाला मिलान हेतु तहसीलदार उनियारा के पूर्व प्रत्रांक 813—34 दिनाक .28.03.2015 से दिनाक 30.04.2015 को इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। पुनः इस कार्यालय के पूर्व प्रत्रांक 95 दिनाक 29.04.2015 से आखरी साला मिलान हेतु दिनाक 28.05.2015 को इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। इनके द्वारा आखरी शाला मिलान नहीं

करायें जाने पर इस कार्यालय के पूर्व कारण बताओ नोटिस कमाक 254 दिनाक 01.06.2015 नोटिस कमांक 361–62 दिनांक 13.07.2015 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु इनके द्वारा आदिनांक तक आखरी साला मिलान नहीं कराया गया हैं आपका उक्त कृत्य राजकार्य में लापरवाही दर्शाता है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा तहसीलदार उनियारा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमे तहसील राजस्व लेखाकार ने पत्रावली मे दिनांक 09.01.2019 को टिप्पणी की है कि पटवारी द्वारा अभी तक ढालबांच सियाह का आखिरी साला मिलान नही कराया है। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा के उक्त दण्डादेश दिनांक 22.01.2019 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कार्मिक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उपखण्ड अधिकारी उनियारा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी पर पटवार मण्डल पचाला का का कार्यभार जनवरी 2015 में दिया गया था पटवार मण्डल पचाला का कार्यभार जनवरी 2015 मिलने के कारण कागजात तैयार करने मे कांफी समय लगा। चार्ज लेते समय पचाला की ढालबाछों तैयार नही थी जिसे पूर्ण करके अप्रैल 2015 मे आखिरी साला मिलान करा दिया। अतः प्रार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी

उनियारा के दण्डादेश दिनांक 22.01.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी को इतने वृहद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप एवं इन आरोप के आधार पर दण्ड बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 22.01.219 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री राजेश कुमार मीणा, तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल पचाला हाल पटवार मण्डल केरोद, तहसील उनियारा जिला टोंक के विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 22.01.2019 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

**(भंवर लाल मेहरा),**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**